UG sem-II
25 April

① 11/4/19

भारत में अल्पसंख्यक [MINORITIES]

" राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अनुसार 5 धार्मिक समुदाय :- मुसलमान, इसाई, बौध, सिक्ख, पारसी को अल्पसंख्यक अधिसूचित किया गया है "
— भारत 2015

भारत एक विभिन्नताओं का देश है। और विभिन्नताओं का विकास इसी कारण हुआ है, कि अति प्राचीन काल से ही इस देश में विदेशी समुदाय आते रहे हैं और बसते रहे हैं। भारत की सदा से यह महानता रही है, कि उसने किसी को भी त्यागा नहीं। सभी को अपने में आश्रय दिया है। अपनों जैसा लालन - पालन भी किया है। वे सब बाहर से आए थे। पर बाहर के न रहे बल्कि अपने और सगे बन गए। पर अपनों में भी विभाजन हुआ। स्वार्थी लोगों ने आपस में भेद-भाव किया। फिर अलग होकर वे मुसलमान या इसाई कहलाए। तो कुछ बौध, सीख और पारसी में भी इसमें शामिल हो गए। और इस प्रकार अलग हो गए। वे संपूर्ण भारती जनसंख्या की दृष्टि से बहुत अधिक नहीं थे। अर्थात् संख्या में कम या अल्प थे। इसी लिए मोटे तौर पर वे भारत में 'अल्पसंख्यक' कहलाए। इस रुप में हम कह सकते हैं, कि अल्पसंख्यक कोई बाहर के लोग नहीं हैं। बल्कि हम भारतीयों में से ही कुछ हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 के अंतर्गत पाँच धार्मिक समुदायों को मुसलमान, ईसाई, सीख, बौध पारसी को

MY SCHOLAR

अल्पसंख्यक सूचित किया गया। जिनकी जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 18.47% था है।

M.N श्री निवास के अनुसार भारती समाज की इस धार्मिक विभिन्नता के पर टिप्पणी करते हुए बहुत उचित लिखा है "विविभिन्न जातियाँ और धर्म का अध्ययन विभिन्न तत्वों को प्रकट करता है।" इनके अनुसार भारतीय जनगणना में दस विभिन्न धार्मिक समूह भारत में विद्यमान बताए गए है :- हिन्दू, सीख, जैन, बौद्ध, पारसी, इस्लाम, ईसाई, यहूदी तथा अन्य जन जातियों के धर्म तथा गैर जनजातियों के अन्य धर्म वस्तुत: भारतीय समाज में सभी प्रमुख धर्मों के लोग निवास करते है। तथा वे अपनी धार्मिक विशेषताओं को बनाए रखने का प्रयास करते रहे हैं। हिन्दू बहुसंख्यक तो है, परन्तु वे बहुदेव वादी होने के कारण बहुत से सांप्रदायों में विभाजित है। एवं अनुपम रहन-सहन और खान पान की व्यवस्था तथा प्रति दिन के व्यवहार में स्पष्ट दिखाई देता है, जो विदेशी मूल के धर भारत में आए थे वे भी आज भारतीय समाज के अभिन्न अंग बन गए है। यह धार्मिक ~~विभिन्नता~~ विविधता भारतीय समाज के बहुल वादी दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य बना देती है।

अल्पसं

अल्पसंख्यक का अर्थ :—

सामान्य भाषा में अल्पसंख्यक वे लोग कहलाते हैं। जो धर्म और भाषा की दृष्टि से कम संख्या में हैं, या एक अन्य रूप में कहा जा सकता है, कि किसी भी समाज की जनसंख्या में जिन लोगों का धर्म के आधार पर कम प्रतिनिधित्व होता है, उन्हें हम 'अल्पसंख्यक' कहते हैं। अल्पसंख्यक अर्थ किसी विशेष समुदाय का संख्यात्मक विशिष्टता की दृष्टि से कम होना समाजशास्त्र में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग अधिक व्यक्त रूप में किया जाता है। अल्पसंख्य वर्ग के सदस्य एक सामूहिकता का निर्माण करते हैं, अर्थात् उनमें अपने समूह के प्रति एक जुड़ता, एकतात्मकता और उससे संबंधित होने का प्रबल भाव होता है। जो समूह संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक होते हैं वे भी किसी सामूहिकता का निर्माण नहीं करते उन्हें समाजशास्त्र में अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता उदाहरण स्वरूप : बाएं हाथ से खेलने या लिखने वाले लोग या २१ फरवरी को जन्मे वाले लोग संख्या में कम तो हो सकते हैं, परन्तु उन्हें समाजशास्त्र में अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता है।

भारतीय समाज में अल्पसंख्य एवं बहुत शब्दों का प्रयोग सामान्यता धार्मिक दृष्टि से अधिक एवं अल्पसंख्यक वाले सम्प्रदायों के लोगों के लिए ही किया जा सकता है जैसे :- हिन्दुओं को बहुजनसंख्य माना जाता है, तो सीख, जैन, बौध, पारसी इस्लाम, बहुदी बहुधर्म के मानने वाले। भारत के कुल जनसंख्या में हिन्दुओं का कुल जनसंख्या 80.7% है जबकि मुसलमानों का 13.4% है।

* समाजशास्त्री दृष्टिकोण से अल्पसंख्यकों के निम्नलिखित तथ्य हैं:-

(1) मुसलमानों में नगर में रहने वालों का अनुपात ज्यादा है। इसी प्रकार जैन धर्म भी नगरीय पृष्ठभूमि वाला धर्म दिखाई देता है। सीख जनसंख्या ग्रामों एवं नगरों दोनों में है, और यही बात ईसाइयों और बौद्धों में लागू हो रही है।

(2) प्रजनन दर की दृष्टि से सबसे ऊंची दर मुसलमानों में है, और फिर क्रम से ईसाई, जैन, हिन्दू, सीख, बौद्ध में पाई जाती है। ईसाइयों में सबसे कम वृद्धि दर पाई जाती है। 1991-2001 के दशक में मुसलमानों में जनसंख्या 36.0% जैन का 26.0% ईसाई में 22.0% हिन्दू में 20.0 तथा सीखों एवं बौद्धों में 18.2% रही है।

(3) भारत में सभी प्रमुख अल्पसंख्यक धार्मिक विशेषताओं को बनाए रखने का प्रयास करते हैं सभी धर्मों की अपनी अलग-2 उपासना विधि है। अलग परम्पराएं और प्रथा भी है, यह अंतर रहन सहन और खान-पान की व्यवस्था तथा प्रति दिन के व्यवहार में भी दिखाई

(4) भारतीय समाज की धार्मिक विविधता समय-2 पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करती है। आज भारत में धार्मिक आधार पर साम्प्रदायिकता का एक प्रमुख समस्या बनी हुई है जिससे साम्प्रदायिक दंगों, कट्टरवादी भारतीय

समाज की जड़ों को हिला हिला रही है।

(5) स्वतंत्रता के प्राप्ति के पश्चात् भारत को एक लौकिक राज्य के रूप में स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान में यह स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, कि सभी धर्मों के लोग हमारे लिए एक समान है तथा उन्हें समान अधिकार प्राप्त है धर्म, जाति लिंग, प्रजाति के आधार पर किसी नागरीक से किसी प्रकार भेद-भाव नहीं किया जाएगा।

(6) व्यवहारिक रूप में आज भी हमारे देश में सरकार अनेक धार्मिक मामलों तथा झगड़ों से अपने आप को अलग नहीं रख पा रही है। कुछ धार्मिक सम्पदायों के नेताओं ने तो, यह स्पष्ट घोषणा पत्र तक कर दी है, कि उनके धर्म तो सर्वग्राही धर्म है। और इस नाते वे सामाजिक धार्मिक, और राजनितिक सभी पक्षों को अपने में समेटे हुए है। वे यह तर्क देते हैं, कि उनमें राजनितिक तथा अन्य बातों को अलग-2 करना के उनके धर्म की अस्मिता को चोट पहुँचना।

(7) K.L. Sharma के अनुसार पारसी, जैन, यहूदीयों एंव इसाइयो में साक्षतादर सबसे अधिक है। ईसाइयों के अपवाद के साथ ये अल्पसंख्यक सम्पदाय व्यपार में अधिक संलग्न है।

भारतीय समाज में धार्मिक विविधता समय-2 पर सामाजिक व्यवस्था में धार्मिक संघर्ष की स्थिति भी पैदा करता है। आज के भारत में धार्मिक आधार पर सम्पदायकता की समस्या सबसे प्रमुख है। हम दादा-भाई नौरोजी के शब्दों का स्मरण दिलाना चाहते। हमें अपनी संकुचित धार्मिक

MY SCHOLAR

Scanned with CamScan

दायरों से उठ कर व्यापक भारतीय दृष्टि से देखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि "चाहे मैं एक हिन्दू हूँ, मुसलमान हूँ, पारसी हूँ, ईसाई हूँ, या अन्य किसी धार्मिक विश्वास का हूँ, इन सबसे ऊपर मैं एक भारतीय हूँ।" इस भावना के अभाव में सदियों से चली आ रही सांस्कृतिक एकता खतरे में पड़ जाएगी।

* अल्पसंख्यक समुदायों की समस्याएँ ॥

(1) भाषा से संम्बधित समस्या :- भारत में अंग्रेजों के शासक के रूप में प्रवेश करने के साथ-२ अंग्रेजी भाषा का भी प्रवेश हुआ। वास्तव में ईसाई ने इस देश में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारम्भ किया। इस अंग्रेजी भाषा के माध्यम से इस देश के अल्प समुदायों का संपर्क दुनिया के प्रगतिशील देशों के साथ के सा स्थापित हो गया। और भाषा के साथ- पाश्चत, विचार, भावनाएँ, व्यवहार के ढंग आदि को भी हम प्राप्त करने लगें। परिणाम यह हुआ कि इस अंग्रेजी भाषा ने उनका जितना उपकार किया उतना ही अपकार भी और उनमें सबसे अधिक अहित हुआ। अंग्रेजी भाषा के प्रति उग्र अनुराग के पनपने के फलस्वरूप। बंगाल तथा दक्षिण भारत के कुछ प्रांतों के साथ अंग्रेजी का आरम्भ से ही रहा अतः इन प्रांतों के अल्पसंख्यक ने मातृभाषा के बाद भी अंग्रेजी भाषा को एक उच्च स्थान प्रदान

Scanned with CamScanner

किया इसका परिणाम आज हमारे सामने है।

(2) धर्म से संम्बधित समस्याएँ :- अंग्रेज केवल इस देश में केवल राज्य हित नहीं करना चाहते थे अपितु ईसाइ धर्म का विस्तार भी चाहते थे इस उद्देश्य की पूर्ति में उनके साथ ईसाइ ही थे। इन लोगों ने देश के कोने-२ में स्कूल, अस्पताल, अनाथ आश्रम भी खोला और इन्हीं के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रचार भी किया। ईसाई धर्म को स्वीकार करने पर सरकारी नौकरियाँ, शिक्षा आदि में विशेष सुविधाएँ प्राप्त हो जाती हैं। इन सब प्रलोभनों में फँस कर हजारों अल्पसंख्यक समुदायों के लोग धर्म परिवर्तन करके ईसाइ धर्म को ही स्वीकार कर लिया। इससे अनेक सामाजिक, पारिवारिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं का जन्म हुआ उदाहरण स्वरूप ईसाइ धर्म को स्वीकार लेने के बाद भी ये भारत वासी अपने खाद्य दृष्टिकोण विश्वास तथा आचरणों का त्याग नहीं कर पाया। इससे उनके व्यक्तित्व में एक तनाव की स्थिति बन रही है। और उनका स्वस्थ, विकास बाधित हुआ। उसी प्रकार किन्हीं परिवारों में केवल दो एक सदस्यों ने ही ईसाइ धर्म को स्वीकार किया। जबकि अन्य सभी लोगों ने अपने मूल धर्म पर ही विश्वास बनाए रखा। और उन सदस्यों का बहिष्कार किया। जिन्होंने दूसरे धर्म स्वीकार कर लिया है इससे पारिवारिक विघटन आरंभ हो गया।

इतना ही नहीं अनेक परिवारों के लिए एक दूसरी समस्या भी प्रकट हुई।

(3) राजनिति से संम्बंधित समस्याँ :- आधुनिक भारतीय राजनितिक संस्थाओं पर पाश्चात्य देशों विशेषकर इंग्लैण्ड तथा अमेरिका का प्रभाव ज्यादा रहा। प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था उसी सर्वोतम कदारण है। पर दूसरे देश की भाँति इस देश में एक स्वस्थ प्रजा परंम्पराओं का विकास सायद आज भी नहीं हो पाया है। चुनाव के क्षेत्र में विधानसभा या संसद सभा, निति निर्धारण में, विभिन्न पार्टीयों के सम्बंध में आज भी हम स्वस्थ परम्पराओं या आचार संहिताओं को विकसित नहीं कर पाए हैं। ... ...

हम प्रजातांत्रात्मक शासन व्यवस्था को जो हमने अपना लिया है यह हम यह भूल गए है, कि इस शासन व्यवस्था कि सफलता केवल व्यवस्था को अपना लेने मात्र से ही निहित नहीं है बल्कि ~~ए~~ उसकी सफलता को इस व्यवस्था से सम्बंधित आचरणों एवं अवस्थाओं के साथ अनुकूलन पर निर्भर करती है। चुनाव के लिए प्रतियाशीयों का चुनाव प्रथा उनकी योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि हम जाति - पाति, धर्म, पात, राजनितिक ताल - मेल पर किया जाता है। चुनाव के समय भी धर्म जाति - पाति और आपसी भेद - भाव के पर भी वोट मांगे ~~मंत्री~~ के आधार पर जाते है। मंत्री मंडल के गठन में भी

सम्प्रदाय, भावनाएं जाति-पाति महत्वपूर्ण होता है विधानसभा में अपना बहुमत बनाए रखने के लिए अपना धन, पद का प्रलोभन देकर दूसरी पार्टीयों से तोड़ने का प्रयत्न किया जाता है।

(5) परिवार एवं विवाह से संबंधित समस्याएँ :- पश्चायत संस्कृति से प्राप्त विचार, मूल्य तथा आदर्शों ने अल्पसंख्य समुदायों के परिवार तथा विवाह के क्षेत्र में भी अनेक समस्याओं को जन्म दिया उदाहरणस्वरूप पाश्चात्य संस्कृति से प्राप्त व्यक्तिवादी आदर्श, स्त्री शिक्षा ने लोगों को त्याग और कर्तव्य के पथ से हटाकर व्यक्तिगत अधिकार, सुख और समानता का पाठ पढ़ाया जो कि संयुक्त परिवार व्यवस्था के विघटन का एक प्रमुख आधार बन गया। इसी व्यक्तिवादी पाश्चयत आदर्शों के कारण परिवारों का आधार भी दुर्बल होता जा रहा है और परिवार का प्रत्येक सदस्य सबके लिए कम अपने लिए अधिक सोचता है। इसका प्रभाव में परिवार में पति-पत्नि के पारिवारिक संबंधो पर भी पड़ा है, और दिन-प्रतिदिन टूटना ही जा रहा है। इसप्रकार पाश्चयत मूल्यों तथा आदर्शों के फलस्वरूप भी अल्पसंख्यु समुदायों में देर से विवाह, अंतर जातियों विवाह, प्रेमविवाह विवाह की दर दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो एक स्वस्थ परिवार के लिए खतरा उत्पन्न करने वाला बन गया है। प्रो. बेवर ने लिखा है, कि रोमेंटिक विवाह विच्छेद में होता है।

MY SCHOLAR

Scanned with CamScan

इन समुदायों के लोगों में विवाह विच्छेद की बढ़ती हुई दर तो इस देश के पारिवारिक और व्यावहारिक जीवन के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। इसका प्रमुख कारण पाश्चात्य मूल्य तथा आदर्शों को आँखें मूंद कर नकल करना है।

भारत में निम्नलिखित अल्पसंख्यक संप्रदाय पाए जाते हैं :—

धर्मवीर महाजन

1. मुसलमान संप्रदाय
2. ईसाई "
3. सिक्ख "
4. बौद्धों "
5. जैन "
6. पारसी "
7. यहूदी "